

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 450/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कुसुम कुमारी हंसदक
महानन्द संगी

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
19.08.21	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक कुसुम कुमारी हंसदक पति स्व० इम्मानुएल हंसदक ग्राम-जोबे, पो०-माहिल, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने महानन्द संगी पिता गाब्रिएल संगी ग्राम-जोबे, पो०-माहिल, थाना-मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">कुंजला</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">249</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">645</td> <td style="text-align: center;">0.02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">647</td> <td style="text-align: center;">0.04½</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.06½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1515498068 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 564 दिनांक 30.07.21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 505/503 दिनांक 13.11.2002 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम पाने वाला ला राजेन्द्र नाथ शाहदेव वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार कुसुम कुमारी हंसदक के नाम भूमि का 0.13 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.95 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00 (उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू० विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.74 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण कुसुम कुमारी हंसदक पति स्व० इम्मानुएल हंसदक को महानन्द संगी पिता गाब्रिएल संगी के साथ ग्राम कुंजला के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 645, 647 का कुल रकबा 0.06½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 19862.00 (उन्नीस हजार आठ सौ बारसठ) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">3/10/21</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">3/10/21</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	कुंजला	249	03	645	0.02	647	0.04½		0.06½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)												
कुंजला	249	03	645	0.02												
			647	0.04½												
				0.06½												